-1-

बैठक सं० 66
एजेन्डा० 66:1
दिनांक 31.5.10

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक—जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./10/डी–617 दिनांक–5-5-10

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 65वी बैठक दिनांक 03.05.10 को प्रातः 10:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		65:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की आयोजित 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 52वीं से 64वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	**I.** 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10:– प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10 के कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 64:9 में Land Use Change के स्थान पर End Use Change प्रतिस्थापित करने के साथ अनुमोदन किया गया। **II.** 52वीं बैठक दिनांक 01.06.09:– प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:6 श्री बंशीलाल व श्रीमति मीताक्षी मल्होत्रा को आवंटित भूमि के संबंध में उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को प्रकरण वास्ते स्वीकृति भिजवाया गया है। ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में उपायुक्त जोन–1 ने बताया कि संस्थानिक क्षेत्र में विवादित भूखण्ड का कब्जा दिनांक 15.02.10 को लिया जा चुका है। इसके पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 2558/2010 में दिनांक 18.03.10 को यथा स्थिति (Status Quo) का आदेश दिया है। प्रकरण में आई.आई.एम.ई. द्वारा एक विविध प्रार्थना पत्र भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसका जवाब जविप्रा द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। **III.** 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09:– प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव सख्या 59:4 जविप्रा की पालडी मीणा योजना में बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में उक्त क्षेत्र नया जयपुर से प्रभावित होने के कारण

उप० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

-2-

उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार से मार्ग दर्शन चाहा गया है। प्राप्त होने पर पालना रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

IV. 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09:–

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

i. प्रस्ताव संख्या 61:11(1) नेशनल सोसायटी फॉर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट जयपुर को साईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है।

ii. प्रस्ताव संख्या 61:11(3) इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड मेनेजमेन्ट ट्रस्ट कलकत्ता के संबंध में निर्णय लिया गया कि साईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात् राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है।

V. 63वीं बैठक दिनांक 22.02.10:–

1. प्रस्ताव संख्या 63:2 चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 6/339 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 6/294 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर विनिमय करने बाबत। प्रार्थीया श्रीमती मुक्ता कुल श्रेष्ठ के बारे में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थीया को चित्रकूट योजना के भूखण्ट संख्या 6/339 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 6/294 क्षेत्रफल 193 वर्गमीटर विनिमय किया जावे। भूखण्ड संख्या 6/339 जिसका क्षेत्रफल मौके पर 142.89 वर्गमीटर रह गया है उसे नीलाम किया जावे एवं कार्नर भूखण्ड संख्या 6/329 के भूखण्डधारी द्वारा 1.20 मीटर चौडाई में अधिक निर्माण कर अतिक्रमण किये गये क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जावे। उपायुक्त द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु प्रवर्तन शाखा को लिखा गया है व भूखण्ड की नीलामी हेतु अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) को लिखा गया है। संबंधित प्रकोष्ठ के द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये।

VI. 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10:–

1. प्रस्ताव संख्या 64:5 नारायण हृदयालय इन्सटीट्यूट ऑफ कार्डियक साईस बैंगलोर को जयपुर में हैल्थ सिटी की स्थापना हेतु आवंटित भूमि 35 एकड़ में से 10 एकड़ आवंटन करने एवं 25 एकड़ भूमि प्राधिकरण के हक में पूर्व आवंटन में से समर्पण स्वीकार करने बाबत उपायुक्त जोन को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				2. प्रस्ताव संख्या 64:8 इण्डोफ्रेंच कल्चरल सोसायटी को समिति द्वारा आवंटन की अभिशषा के साथ आवंटन दर निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाया गया है। प्रकरण की प्रगति से अवगत कराया जावे। 3. प्रस्ताव संख्या 64:9 में नारी चेतना समिति को वृद्धाश्रम केन्द्र की स्थापना हेतु आवंटित भूमि की प्लानिंग कराई जाकर पी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदन कराया जावे। 4. प्रस्ताव संख्या 64:10 रीको को ग्राम रामचन्द्रपुरा, विधाणी, जयसिंहपुरा एवं विमलपुरा में 4.12 हैक्टयर भूमि आवंटन का प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। प्रकरण की प्रगति से अवगत कराया जावे। 5. प्रस्ताव संख्या 64:11 जयपुर शहर में नई पुलिस लाईन हेतु खसरा नं. 201, 241, 247, 248, 249 व 250 में से 5.99 हैक्टयर भूमि ग्राम जोतडावाला तहसील सांगानेर में से 15000 वर्गमीटर भूमि योजना मानचित्र का पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाया गया है। 6. प्रस्ताव संख्या 64:13(2) रामनगरिया विस्तार योजना में 17 गैलेण्ट्री अवार्ड धारको की सूची राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है। प्रकरण की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश उपायुक्त को दिये गये। 7. प्रस्ताव संख्या 64:13(4) में हाल सं. 1 फतेहसिंह की धर्मशाला की छत पर अवैध निर्माण को हटाने के लिये अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) से वार्ता कर क्रियान्विति कराकर पालना से अवगत करावे।
2.	9	65:2	रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान को महिला कॉलेज हेतु 43वीं बैठक दिनांक 15.12.07 के निर्णय पर पुर्नविचार कर, आवंटित भूमि की मात्रा एवं दर निर्धारण बाबत।	संस्था की अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्था द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) परीक्षण कर आगामी बैठक में विचारार्थ रखे।
3.	13	65:3	अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन एवं विकलांग संस्थान को ग्राम कानोता के खसरा नं. 624 में से 4000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु।	संस्था के संस्थापक द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर संस्था को 1000 वर्गगज निःशुल्क व 1000 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
4.	13	65:4	भारतीय सामाजिक विकास समिति को विधास्थली विश्वविधालय हेतु ग्राम लबाना में 30 एकड़ भूमि आवंटन के संबंध में एलपीसी की बैठक दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में नियमों की व्याख्या कर पुर्नविचार करने बाबत।	भारतीय सामाजिक विकास समिति द्वारा एलपीसी की बैठक दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु आवेदन करने पर समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया। समिति का मत है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आरक्षित दर बाजार मूल्य से काफी कम है। अतः जविप्रा द्वारा निर्धारित आरक्षित दर रियायती दर ही हैं। संस्था को पूर्व में रियायती दर पर भूमि आवंटन की जा चुकी है। संस्था विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 30 एकड़ भूमि आरक्षित दर पर आवंटन

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				चाहती है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.02.05 के पेरा 6 में यह प्रावधान है कि जिस संस्था को आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उसको पूर्व मे उसी शहर मे भूमि आवंटन नहीं होना चाहिये। इसी परिपत्र के बिन्दु स 16 मे यह प्रावधान है कि "किसी भी संस्था के लिये आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिये अतिरिक्त भूमि की मांग नही की जावेगी और यदि उसे अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाती है तो उस पर कोई छुट देय नहीं होगी"। अतः आरक्षित दर को रियायती दर माना जावे अथवा नहीं एवं इस प्रकरण के साथ ही बियाणी शिक्षण समिति व संजय शिक्षा समिति तीनों के बारे में राज्य सरकार को संबधित नियमों के संदर्भ में मार्गदर्शन/निर्णय प्रदान करने हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।
5.	12	65:5	बियानी शिक्षण समिति, जयपुर को Biyani's Interdisciplinary Research & Development University, Jaipur की स्थापना हेतु ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 168/2 में से 40बीघा भूमि आवंटन के संबंध में एलपीसी की बैठक दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में नियमों की व्याख्या कर पुर्नविचार करने बाबत।	प्रस्ताव संख्या 65:4 में लिय गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
6.	13	65:6	संजय शिक्षा समिति जयपुर द्वारा अपेक्स विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु ग्राम चौंप तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1599 व 1600 में से 30हैक्टेयर भूमि आवंटन के संबंध में एलपीसी की बैठक दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में नियमों की व्याख्या कर पुर्नविचार करने बाबत।	प्रस्ताव संख्या 65:4 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
7.	11	65:7	जयपुर जेवियर एज्यूकेशनल सोसायटी को हायर एज्यूकेशन कॉम्पलेक्स बनाने हेतु ग्राम नेवटा में भूमि आवंटन बाबत।	संस्था के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्था ने ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर में 49 एकड़ भूमि हायर एज्यूकेशन कॉमप्लेक्स की स्थापना हेतु आवंटन की मांग की है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 14.02.05 के अनुसार महाविद्यालय के लिये अधिकतम 8 एकड़ भूमि आवंटन किये जाने का प्रावधान है। समिति ने संस्था को 8 एकड़ भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया। समिति का यह भी मत है कि संस्था द्वारा भविष्य में प्रबन्धन, तकनीकी, शोध, शिक्षण, सूचना तकनीकी आदि पाठ्यक्रम को स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के एक ही स्थान पर लाया जाना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5-

				अंकित किया है। अतः राज्य सरकार को पूर्ण तथ्य अंकित करते हुए प्रस्ताव अभिशंषा सहित भिजवाया जावे।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
1.	5	65:7(1)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वेज फार्म में पेयजल सुविधा हेतु टंकी व हेटवर्क्स बनाने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त गांधीनगर, जयपुर को स्वेज फार्म स्थित विभिन्न कॉलोनियों के लिये पेयजल व्यवस्था हेतु टंकी एवं हैडवर्क्स बनाने के लिये जविप्रा की अनुमोदित योजना रूपविहार के सुविधा क्षेत्र में से 1500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया।
2.	11	65:7(2)	आर.के. यादव मेमोरियल सोसायटी को मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति अस्पताल हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	संस्था के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्था द्वारा चाही गई भूमि खसरा नं. 37 ग्राम मदरामपुरा की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने के कारण ऐसी भूमि का आवंटन जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संस्था के प्रतिनिधि को वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।

(एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त/सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. जिला कलक्टर, जयपुर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली

(एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त/सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 65वी बैठक दिनांक 03.05.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री ओ.पी. दोराया निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
4.	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व एवं एलपीसी)	सदस्य सचिव
5.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
6.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री राकेश शर्मा, विशेषाधिकारी (आर.एम.)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री एच.एम. ढाका, उपायुक्त जोन–3	विशेष आमंत्रित
9.	श्री गिरीश पाराशर, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
11.	श्री लाबू लाल गोयल, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पी0सी0 शर्मा उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित